उत्तर प्रदेश सरकार

उच्च शिक्षा अनुभाग-

संख्या: 1325/सत्तर-1-2002-15(03)-97

लखनऊ, दिनाक 03 जुलाई 2002

**<u>अधिसूचना</u>**

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2002) की धारा-2 के खण्ड (च) और धारा-9 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित संस्थाओं या कोचिंग केन्द्रों के सम्बन्ध में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में प्रत्येक के सम्मुख विनिर्दिष्ट, सक्षम अधिकारी के कृत्यों, के निष्पादन के लिये, प्राधिकृत करते हैं:-

**<u>अनुसूची</u>**

| क्रम संख्या | प्राधिकृत अधिकारी | अधिकारिता के अधीन आने वाला क्षेत्र | कृत्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त कुलपति या उनका नाम निर्देशिती जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो। | उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में यथा परिभाषित प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय का सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्र। | (एक) कोचिंग केन्द्रों का निरीक्षण।<br>(दो) कोचिंग केन्द्र की किसी त्रुटि या अनियमितता के सम्बन्ध में लिखित आदेश पारित करना।<br>(तीन) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में लिखित में शिकायत दाखिल करना, जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करता है। |
| 2. | निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राजस्व जिले। | -तदैव- |
| 3. | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश | -तदैव- | -तदैव- |
| 4. | निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राजस्व जिले। | (एक) कोचिंग केन्द्रों का निरीक्षण।<br>(दो) कोचिंग केन्द्र की किसी त्रुटि या अनियमितता के सम्बन्ध में लिखित आदेश पारित करना।<br>(तीन) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में लिखित में शिकायत दाखिल करना, जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अधीन दण्डनीय अपराध कारित करता है। |
| 5. | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश | -तदैव- | -तदैव- |
| 6. | समस्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेट | सम्बन्धित राजस्व जिला | -तदैव- |
| 7. | समस्त जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट | -तदैव- | -तदैव- |
| 8. | समस्त जिलों के सभी मुख्य विकास अधिकारी | -तदैव- | -तदैव- |
| 9. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा | आगरा का राजस्व जिला | (एक) कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण<br>(दो) कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर का रख-रखाव<br>(तीन) कोचिंग केन्द्रों का निरीक्षण।<br>(चार) किसी रजिस्टर्ड कोचिंग केन्द्र की किसी त्रुटि या अनियमितता के सम्बन्ध में लिखित आदेश पारित करना।<br>(पांच) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में लिखित में शिकायत दाखिल करना, जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करता है। |
| 10. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली | बरेली | (एक) कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण<br>(दो) कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर का रख-रखाव<br>(तीन) कोचिंग केन्द्रों का निरीक्षण।<br>(चार) किसी रजिस्टर्ड कोचिंग केन्द्र की किसी त्रुटि या अनियमितता के सम्बन्ध में लिखित आदेश पारित करना।<br>(पांच) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में लिखित में शिकायत दाखिल करना, जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करता है। |
| 11. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा | गोरखपुर | -तदैव- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अधिकारी, गोरखपुर | | |
| 12. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी | झांसी | -तदैव- |
| 13. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर | कानपुर | -तदैव- |
| 14. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ | लखनऊ | -तदैव- |
| 15. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ | मेरठ | -तदैव- |
| 16. | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी | वाराणसी | -तदैव- |
| 17. | आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराण्सी जिलों को छोड़कर सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक | अपने-अपने जिलों के भीतर | (एक) कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण<br>(दो) कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर का रख-रखाव<br>(तीन) कोचिंग केन्द्रों का निरीक्षण।<br>(चार) किसी रजिस्टर्ड कोचिंग केन्द्र की किसी त्रुटि या अनियमितता के सम्बन्ध में लिखित आदेश पारित करना।<br>(पांच) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में लिखित में शिकायत दाखिल करना, जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करता है। |

आज्ञा से,

धमेन्द्र देव

प्रमुख सचिव

संख्या: 1325/सत्तर-1-2002-15(3)/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, विधायी विमाग, उत्तर प्रदेश।
8. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

10. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12 शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
15. अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
16. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
17. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
18. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/बरेली/गोरखपुर/झांसी/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/वाराणसी।
19. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
20. उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से.

बी.डी. जोशी

संयुक्त सचिव